प्रेस नोट- मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 13.12.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के 01 आरोपी को 15 वर्ष का कारावास एवं कुल 01 लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रयांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना रोजा पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एएसजे 07 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना रोजा में आरोपी मोहम्मद इकबाल पुत्र स्व0 मो0 मारूफ निवासी वार्ड नं0 02 सिमरा थाना कृष्णा नगर जनपद कपिल वस्तु, नेपाल के कब्जे से 13 कि0 50 ग्रा0 चरस बरामद होने पर 15 वर्ष का कारावास एवं 01 लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण-

मोहम्मद इकबाल पुत्र स्व0 मो0 मारूफ निवासी वार्ड नं0 02 सिमरा थाना कृष्णा नगर जनपद कपिल वस्तु, नेपाल।

घटना व सजा का विवरण-

मु0अ0सं0 870/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर में आरोपी मोहम्मद इकबाल पुत्र स्व0 मो0 मारूफ निवासी वार्ड नं0 02 सिमरा, थाना कृष्णा नगर जनपद कपिल वस्तु नेपाल के कब्जे से 13 कि0 50 ग्राम चरस बरामद होने पर 15 वर्ष का कारावास एवं 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।